

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 12-2-13

अधि.सं.-01/स्था.स्थाना./पद.-11-04/2011-302 / जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित प्रभारी मुख्य अभियंता(असैनिक) (चालू प्रभार) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ-04 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम / आई.डी./ जन्म तिथि / गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री किशोरी रजक 3481/10.01.58/भागलपुर	प्रभारी मुख्य अभियंता (चा.प्र.) मानव संसाधन विकास विभाग	प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची	मानव संसाधन विकास विभाग से सेवा वापस लेते हुए
2.	श्री जलधर मंडल 3892/28.10.62/भागलपुर	प्रभारी मुख्य अभियंता (चा.प्र.) पदस्थापन की प्रतीक्षा में	प्रभारी मुख्य अभियंता(चा.प्र.) के रूप में सेवा मानव संसाधन विकास विभाग को।	

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Sheef
12.2.13
(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 302 राँची, दिनांक :- 12-2-13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

Sheef
12.2.13
(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 302 राँची, दिनांक :- 12-2-13

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ महामहिम राज्यपाल के सलाहकार(जल संसाधन) के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 03 (तीन) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे।

Sheef
12.2.13
(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)